फ़ाइल संख्या. फाइल संयासंया**2020(31)15 :/FoSCoS/RCD/FSSAIpt4 (E-1887)**
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
(नियामक अनुपालन प्रभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002

दिनांक: 18 मार्च, 2026

आदेश

विषय: ई कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) मॉडल के सन्दर्भ मे – के सबंध मे

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसाईयों के लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) अधिनियम संशोधन विनियम, 2021 के अनुसार (संचालित), ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) का अर्थ है कि कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(न) में वर्णित गतिविधियों में से कोई भी गतिविधि ई-कॉमर्स के माध्यम से करता है। इसके अतिरिक्त, ई-कॉमर्स संस्थाएं जो खाद्य व्यवसाय संचालकों या खाद्य उत्पादों की सूची/निर्देशिका प्रदान करती हैं और अपनी वेबसाइट पर ऑर्डर/लेनदेन की सुविधा प्रदान करती हैं, उन्हें केंद्रीय FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

2. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), जो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की एक पहल है, ने हाल ही में एक विकेन्द्रीकृत और ओपन नेटवर्क मॉडल प्रस्तुत किया है। इस मॉडल में, एक ही लेनदेन में कई संस्थाएं शामिल होती हैं, जैसे कि क्रेता-पक्ष प्लेटफॉर्म (जिन्हें बायर ऐप्स कहा जाता है) और विक्रेता-पक्ष प्लेटफॉर्म (जिन्हें सेलर ऐप्स कहा जाता है)। यह ई-कॉमर्स के मौजूदा मॉडल से अलग है, जिसमें सभी कार्यों का प्रबंधन एक ही संस्था द्वारा किया जाता है।

3. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स खाद्य एवं व्यवसाय संचालकों (FBOs) पर लागू मौजूदा नियमों की समीक्षा की, विशेष रूप से ओपन नेटवर्क मॉडल के संबंध में। तदनुसार, इस मॉडल में शामिल संस्थाओं के बीच दायित्वों का स्पष्ट सीमांकन और तर्कसंगत दायित्व अनुलग्नक 1 में दिए गए हैं, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।

4. इसके अतिरिक्त, FoSCoS में क्रेता ऐप और विक्रेता ऐप से संबंधित जानकारी और ट्रेसबिलिटी को कैप्चर करने के लिए, मौजूदा ई-कॉमर्स व्यवसाय के प्रकार (KoB) को तदनुसार संशोधित किया गया है।

5. यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

Digitally signed by
Sweety Behera
Date: 18-03-2026
13:59:33

(स्वीटी बेहेरा)
निदेशक (नियामक अनुपालन)

संलग्नक: यथोपरी।

प्रति:

1. सभी खाद्य व्यवसाय संचालक।
2. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त।

3. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के निदेशक।
4. श्री देवेन्द्र दामले, उपाध्यक्ष (नीति), ओएनडीसी।
5. मुख्य प्रौधोगिकी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण - भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

सूचना के लिए प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रमुख निजी सचिव।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निजी सचिव।
3. सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईटी)।
4. कार्यकारी निदेशक - अनुपालन रणनीति / सलाहकार, विज्ञान एवं मानक प्रभाग, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण।
5. निदेशक (कानूनी), निदेशक (विनियमन), निदेशक (विज्ञान एवं मानक प्रभाग), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण।

अनुलग्नक 1

क्र. सं	लागू प्रावधान	खुला नेटवर्क आधारित मॉडल जहां एक एकल लेनदेन में कई संस्थाएं शामिल होती हैं (ONDC मॉडल)	
		विक्रेता ऐप	क्रेता ऐप
1.	FSS अधिनियम और विनियमों के तहत प्राप्त लाइसेंस/ पंजीकरण और खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) की स्वच्छता ग्रेडिंग की जानकारी प्रदर्शित करें	जानकारी प्रदान करने का दायित्व और जानकारी की सटीकता विक्रेता ऐप की है	विक्रेता एप पर उपलब्ध कराई गयी जानकारी प्रदर्शित करने का दायित्व क्रेता ऐप की है
2.	विक्रेताओं/ब्रांड मालिकों/ निर्माताओं के साथ एक समझौता करें जिसमें यह प्रमाणित हो कि उक्त 'विक्रेता/ब्रांड मालिक/निर्माता' खाद्य सुरक्षा एवं मानक (FSS) अधिनियम और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं और दायित्व इन खाद्य व्यवसाय संचालक (FBOs) पर होगा।	विक्रेताओं/ब्रांड मालिकों/ निर्माताओं और विक्रेता ऐप के बीच समझौता किया जाएगा	
3.	वे विक्रेता/ब्रांड मालिक/ निर्माता जो ग्राहकों को कोई भी पूर्व-पैक खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए प्रदर्शित अथवा पेश करते हैं, चाहे अपने स्वयं के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर या ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस आधारित मॉडल पर, यह सुनिश्चित करेंगे कि 'मुख्य डिस्प्ले पैनल' की सुपाठ्य और स्पष्ट तस्वीर ग्राहकों को देखने के लिए उपलब्ध हो सिवाय बैच संख्या/लॉट संख्या, उपयोग की सर्वोत्तम तिथि, समाप्ति तिथि, निर्माण/ पैकिंग की तिथि और अधिकतम खुद्रा मूल्य शामिल हैं।	'मुख्य डिस्प्ले पैनल' की सुपाठ्य और स्पष्ट तस्वीर ग्राहकों को देखने के लिए उपलब्ध कराने का दायित्व सेलर एप का होगा	उपलब्ध कराई गयी जानकारी प्रदर्शित करने का दायित्व क्रेता ऐप की है
4.	ई-कॉमर्स (FBO) द्वारा उपभोक्ता को वितरित किसी भी खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ डिलीवरी के समय 30 प्रतिशत या समाप्ति तिथि से 45 दिन	उपलब्ध कराई गयी जानकारी की सटीकता का दायित्व	ऑर्डर देते समय जानकारी प्रदान करने और उसकी सटीकता

	पहले तक होनी चाहिए बशर्ते कि कैटरर या रेस्तरां द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर प्राप्त करने की स्थिति में, केवल ताजा खाद्य पदार्थ ही उपभोक्ता को वितरित किए जाएंगे।	क्रेता ऐप पर होगा है	सुनिश्चित करने का दायित्व विक्रेता ऐप का है। उपयोग की तारीख या समाप्ति तिथि के बाद किसी भी खाद्य उत्पाद को सूचीबद्ध न करने का दायित्व खरीदार ऐप का है। विक्रेता ऐप द्वारा प्रदान की गई शेल्फ लाइफ संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने का दायित्व भी खरीदार ऐप का है। इसके अतिरिक्त, यदि अंतिम मील डिलीवरी करने वाला व्यक्ति खरीदार ऐप से अलग है, तो यह दायित्व उस FBO का है जो अंतिम मील डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को संभाल रहा है।
5.	खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नियमों और विनियमों में उल्लिखित अनिवार्य खाद्य जानकारी उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान की जाएगी। संबंधित अनिवार्य खाद्य जानकारी खरीद पूरी होने से पहले उपलब्ध होनी चाहिए।	सटीक जानकारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेता ऐप की है।	दी गई जानकारी को प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी खरीदार ऐप की है।
6.	ई-कॉमर्स खाद्य और सेवा प्रदाताओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतिम चरण की डिलीवरी प्रशिक्षित डिलीवरी कर्मियों द्वारा की जाए और डिलीवरी के समय खाद्य उत्पाद की सुरक्षा से समझौता न हो।	यह जिम्मेदारी डिलीवरी करने वाली संस्था या डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने वाले विक्रेता/खरीदार ऐप की है, जैसा भी मामला हो।	
7.	ई-कॉमर्स खाद्य एवं सेवा प्रदाता (FBO) यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्पाद के संबंध में कोई भ्रामक जानकारी/झूठे दावे या खाद्य उत्पादों की भ्रामक छवियां प्रदर्शित न हों।	यह दायित्व विक्रेता ऐप का है।	
8.	ई-कॉमर्स खाद्य एवं सेवा प्रदाता/संस्थाएं अपने प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किसी भी खाद्य उत्पाद को तुरंत हटा देंगी, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं करता हो।	यह दायित्व विक्रेता ऐप का है।	यदि क्रेता ऐप को कोई सूचना प्राप्त होती है, तो क्रेता ऐप आगे की कार्रवाई के लिए विक्रेता ऐप को सूचित करेगा।
9.	उपभोक्ता के लिए विक्रेता ऐप का विवरण प्रदर्शित करें।	विक्रेता ऐप का नाम और FSSAI लाइसेंस नंबर प्रदान करने का दायित्व विक्रेता ऐप का है।	विक्रेता ऐप की जानकारी, जिसमें लाइसेंस/ पंजीकरण विवरण शामिल हैं, प्रदर्शित करने का

10.	नकद रसीदों/चालानों/नकद ज्ञापन/बिल आदि पर FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण नंबर।	विक्रेता ऐप्स/विक्रेताओं का दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं को जारी किए गए चालान पर FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण नंबर प्रदान किए गए हैं।	दायित्व क्रेता ऐप का है। क्रेता ऐप्स को उपभोक्ताओं को चालान को डिजिटल रूप में डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। उक्त डिजिटल इनवॉइस में उपरोक्त जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि विक्रेता ऐप द्वारा प्रसारित की गई है।
11.	खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में जानकारी का प्रदर्शन जैसे कैलोरी, एलर्जेन, शाकाहारी/ मांसाहारी लोगो, पोषण मूल्य आदि। ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों को उपरोक्त जानकारी संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों से प्राप्त करनी चाहिए और जहां भी लागू हो, अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी चाहिए।	जानकारी प्रदान करने का दायित्व और जानकारी की सटीकता विक्रेता ऐप का है।	प्रदान की गई जानकारी को प्रदर्शित करने का दायित्व क्रेता ऐप का है।
12.	लाइसेंस की प्रयोज्यता (केवल केंद्रीय लाइसेंस)	हाँ	हाँ
13.	उपभोक्ता शिकायत निपटान	विक्रेता ऐप खाद्य सुरक्षा और संप्रेषण सुरक्षा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत अपनी जिम्मेदारियों से उत्पन्न होने वाली उपभोक्ता शिकायतों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार होगा।	क्रेता ऐप उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा: (क) शिकायत दर्ज करना और उसकी निगरानी करना (ख) शिकायत को समाधान के लिए सेलर ऐप को अग्रेषित करना (ग) इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों के तहत उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत का समाधान करना

[टिप्पणी: ऊपर निर्दिष्ट न किए गए किसी भी अनुपालन के लिए, खाद्य सुरक्षा और ट्रेसबिलिटी की जिम्मेदारी लेन-देन में शामिल सभी खाद्य व्यवसायों की होगी।]

फाइल सख्या2020(31)15 :/FoSCoS/RCD/FSSAIpt4 (E-1887)
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण(
(नियामक अनुपालन प्रभाग(
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली 110002 –

Dated, the 18 March, 2026

ORDER

Subject: Compliance obligations of E-commerce FBOs in the context of Open Network for Digital Commerce model – reg.

As per FSS (Licensing and Registration of Food Business) amendment Regulations, 2021 (operationalised), E-commerce FBO means any Food Business Operator carrying out any of the activities in Section 3(n) of the Food Safety & Standards Act, 2006, through the medium of e-commerce. Furthermore, E-commerce entities that provide a listing/directory of FBOs or food products and facilitate orders/transactions on their website shall require a central FSSAI license.

2. Open Network for Digital Commerce (ONDC), an initiative of the Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), recently came up with a decentralised and open network model. In this model, a single transaction involves multiple entities, such as buyer-side platforms (called Buyer Apps) and seller-side platforms (called Seller Apps). This is in contrast to the existing model of e-commerce, wherein all functions are managed by a single entity.

3. Based on representations from ONDC, FSSAI reviewed the extant regulations applicable to e-commerce FBOs, especially in respect of the open network model. Accordingly, the clear demarcation of liabilities and rationalised obligations divided between the entities involved in this model is at **Annexure 1,** which will come into effect from 1 April, 2026.

4. Further, to capture the information and traceability regarding the buyer app and seller app in FoSCoS, the existing E-commerce KoB has been revised accordingly.

5. This issues with the approval of the Competent Authority.

Digitally signed by
Sweety Behera
Date: 18-03-2026
13:56:47

(Sweety Behera)

Director (Regulatory Compliance)

Encl - As stated above.

To:

1. All Food Business Operators
2. Commissioners of Food Safety of all States/UTs
3. Directors of all Regional Offices, FSSAI

4. Shri Devendra Damle, Vice President (Policy), ONDC
5. CTO, FSSAI - with a request for uploading on the FSSAI website

Copy for information to:

1. PPS to Chairperson, FSSAI
2. PS to CEO, FSSAI
3. Secretary DPIIT
4. Executive Director - Compliance Strategy / Advisor Science & Standards
5. Director (Legal)/Director (Regulations)/Director (Science & Standards), FSSAI

Annexure 1

S. No	Applicable Provisions	Open network based model where a single transaction involves Multiple entities (ONDC model)	
		Seller app	Buyer app
1.	**Display License/Registration obtained under the FSS Act and Regulations and hygiene grading of FBO**	Obligation to provide information and accuracy of information is with the seller app	Obligation to display the provided information is with the buyer app
2.	**Sign an agreement with the sellers/brand owners/ manufacturers averring that the said 'sellers/brand owners/ manufacturers' are compliant with FSS Act and Rules and Regulations and the liabilities shall rest with these FBOs.**	Agreement to be made between sellers/brand owners/ manufacturers and seller app	-
3.	**The 'sellers/brand owners/ manufacturers' who display or offer any 'pre-packed food' for sale to the customers, either on their own e-commerce platform or on the marketplace based model of ecommerce, shall ensure that legible and clear picture of the**	Obligation to provide a legible and clear picture of the 'principal display panel' is with seller app	Obligation to display the provided information is with the buyer app

	'principal display panel' of such pre-packed food is made available for viewing by the customers, except batch number/lot number, best before, expiry date, date of manufacturing/packing and MRP.		
4.	**Any food article delivered to consumer by e-commerce FBO shall have shelf life of 30 percent or 45 days before expiry at the time of delivery to the consumer.** **Provided that in case of caters or restaurant receiving order through electronic media only fresh food item shall be delivered to the consumer.**	Obligation to provide information and accuracy of information at the time of placement of the order is with the seller app	Obligation to ensure no food products are listed after the use by date or date of expiry is with the Buyer app. Further, the obligation to display shelf life-related information provided by the Seller app is with the buyer app. Additionally, if the last-mile delivery person is different from the buyer app, then such obligation is with FBO, who is handling last mile delivery person.
5.	**Mandatory food information mentioned in the FSS Act, Rules and Regulations made thereunder shall be provided to the consumers without charging supplementary costs. The relevant mandatory food information should also be available before the purchase is concluded.**	Obligation to provide information and accuracy of information is with the seller app	Obligation to display the provided information is with the buyer app
6.	**It shall be ensured by the ecommerce FBOs that the last mile delivery is undertaken by trained delivery personnel and the safety of food product is not compromised at the time of delivery.**	Obligation is with the delivery entity or seller/buyer app facilitating the delivery, as the case may be.	
7.	**E-commerce FBOs shall ensure that no misleading**	Obligation is with the seller app	-

	information/ false claims to the product or misleading images of food products are made available or shown on their platform.		
8.	**The e-commerce FBO/entities shall immediately delist any food products listed on their platform, which are not in compliance with the FSS Act or Rules or Regulations, made thereunder.**	Obligation is with the seller app.	In case information is received at the Buyer app, then the Buyer app shall intimate the seller app for further action
9.	**Display seller app details for consumer**	Obligation to provide the Seller App name, FSSAI license number is with Seller App	Obligation to display seller app information, including license/registration details, is with the buyer app
10.	**FSSAI license/registration number on cash receipts/Invoices/cash memo/bills etc.**	Obligation is with Seller Apps/Sellers to ensure that FSSAI license/registration number are provided on the invoice issued to the consumers.	Buyer Apps should provide functionality to consumers to download the invoice in digital form. The said digital invoice should contain the aforesaid information as relayed by the Seller App.
11.	**Display of information in food service establishments like calorie, allergen, veg non veg logo, nutritional value etc.** **E-commerce Food Business Operators shall get the above mentioned information from respective Food Business Operators and provide on their website wherever applicable.**	Obligation to provide information and accuracy of information is with seller app	Obligation to display the provided information is with the Buyer App
12.	**License applicability (only central license)**	Yes	Yes
13.	**Consumer Grievance Handling**	Seller App will be responsible to address	Buyer App will be responsible to provide a facility to consumers

		consumer grievances arising out of its responsibilities under the FSS Act and Regulations made thereunder.	to ◦ raise and track complaints; ◦ forward the complaints to Seller Apps for resolution. ◦ resolve any grievances arising out of its own responsibilities under these guidelines.

[Note: For any compliances not specified above, the responsibility for food safety and traceability shall rest with all food businesses involved in executing the transactions]

*****